माननीय वन मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2017 को समिति कक्ष, आर्मजडेल बिल्डिंग, हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला में सम्पन्न हुई चराई सलाहकार पुर्नवलोकन समिति की 46वीं बैठक की कार्यवाही का विवरण।

माननीय वन मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2017 को समिति कक्ष, आर्मजडेल बिल्डिंग, हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला में चराई सलाहकार पुर्नवलोकन समिति की 46वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित हुए सरकारी एंव गैर सरकारी सदस्यों की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष की अनुमति से उपस्थित सदस्यों के परिचय उपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई। प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ), हिमाचल प्रदेश ने माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का बैठक में शामिल होने के लिए स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष एवं माननीय वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार भेड़पालकों की समस्याओं के प्रति गम्भीर है और भेड़पालकों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा।

बैठक में पिछली (45वीं) बैठक जो कि दिनांक 19.09.2016 को माननीय वन मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में शिमला में सम्पन्न हुई थी, में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही पर चर्चा आरम्भ की गई :–

मद संख्या–1: विषैला घास (फुलणू) तथा कंटीली झाड़ियों(पंजफूली) को समाप्त करने हेतु दवाई का छिड़काव या उन्हें स्थाई तौर पर उखाड़ने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि भेड़–बकरियों तथा अन्य पशुओं को अधिक से अधिक चराई सुविधा मिल सके।

विभागीय उत्तरः सर्वेक्षण के अनुसार (2016–17) हि0 प्र0 में लगभग 2,39,000 है0 वन क्षेत्र लैंटाना से प्रभावित है जिसमें से वर्ष 2009–10 से वर्ष 2016–17 तक 43394 है0 वन क्षेत्र से लैंटाना का उन्मूलन किया जा चुका है। गत तीन वर्षों 2014–15, 2015–16 व 2016–17 में विभिन्न वन वृतों में 25363 हैं0 में लैंटाना उन्मूलन किया गया।

चर्चा के दौरान अरण्यपाल धर्मशाला ने सदस्यों को अवगत करवाया कि धर्मशाला वन वृत में वर्ष 2016–17 तक 8000 है0 वन क्षेत्र से लैंटाना उन्मूलन किया जा चुका है व इस वर्ष 2017–18 में 1200 है0 वन क्षेत्र से लैंटाना उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में उपस्थित सदस्य श्री जय सिंह(भरमौर) द्वारा सुझाव दिया गया कि लैंटाना के साथ–2 लोगों द्वारा घास के लालच में अन्य प्रकार की झाड़ियों को भी हटाया जा रहा है जिससे पशुओं को कम चारा उपलब्ध हो रहा है।

निर्णयः माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा उपरान्त निर्देश दिये कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा यह सूनिश्चित किया जाये कि वनों से लैंटाना उखाड़ते समय अन्य प्रकार की झाड़ियों को न उखाड़ा जाये व जिस क्षेत्र से लैंटाना को उखाड़ा जाता है उस क्षेत्र में 60 प्रतिशत चारा प्रजाति के पौधे व 40 प्रतिशत वन वर्धन प्रजाति के पौधे लगाये जायें।

चर्चा उपरान्त उक्त मद को समाप्त किया गया।

मद संख्या–2: भेड़–बकरियों के चरान हेतू नए परमिट जारी किये जाना तथा परमिट प्रणाली का सरलीकरण।

चर्चा के दौरान श्री सरमन दास, रोहडू द्वारा सुझाव दिया गया कि जो भेड़ पालक भेड़ें नहीं चराते हैं व जिनके पक्ष में भेड़ चरान परमिट जारी किए जा रहे हैं उनके परमिट अविलम्ब निरस्त किये जायें व उनकी जगह नए परमिट दिये जायें।

निर्णयः माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा उपरान्त अरण्यपालों को निर्देश दिये कि उनके क्षेत्र में जारी किये जा रहे परमिटों के आधार पर पशुओं की गणना सुनिश्चित की जाए व जहां तक नए परमिट देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2017 को धर्मशाला में गददी कल्याण बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें लिए गए निर्णय अनुसार माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।

चर्चा उपरान्त उक्त मद को समाप्त किया गया।

पिछली (45वीं) बैठक नई मदें:

1. समस्त अरण्यपालों (क्षेत्रीय व वन्यप्रणी) एवं Chief Executive Officer, Wool Federation को भी चराई सलाहकार पुर्नवलोकन समिति का भविष्य में सदस्य बनाया जाये।

विभागीय उत्तरः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या FFE-B-F(5)4/2009-V-I दिनांक 27.10.2016 के अन्तर्गत समस्त मुख्य अरण्यपालों/अरण्यपालों (क्षेत्रीय व वन्यप्राणी) एवं Chief Executive Officer, Wool Federation को चराई सलाहकार पुर्नवलोकन समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. जिला ऊना मे जो जम्मू व कश्मीर के भेड़ पालक/गुज्जर (बकरवाल) अपने पशुओं को बिना परमिट चरान करवा रहे हैं, उन्हें तुरन्त बन्द किया जाये।

विभागीय उत्तरः जिला ऊना में जम्मू व कश्मीर के भेड़ पालक/गुज्जर (बकरवाल) का बिना परमिट के पशुओं को चराने का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, यदि ऐसा कोई मामला विभाग के ध्यान में आएगा तो उस पर नियमानुसार तुरन्त कार्रवाई

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

3. धर्मशाला वन मण्डल, जिला कांगड़ा में खबरोटू धार में कच्चा शैड बनाने बारे, ताकि भेड़ पालकों का सामान जैसे राशन इत्यादि सुरक्षित रखा जा सके।

विभागीय उत्तरः भेड़ पालकों के सामान व राशन इत्यादि की सुरक्षा हेतु धर्मशाला वन मण्डल, जिला कांगड़ा के खरबोटू धार में कच्चा शैड (Eco Friendly) बनाने के लिए अनुमानित लागत 1,50,000/– रुपये आंकी गई है, जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

4. वन मण्डल भरमौर के अन्तर्गत कवारसी गांव में भेड़ बकरियों के लिये पशुपालन विभाग द्वारा Deeping Tank बनाने बारे।

विभागीय उत्तरः निदेशक पशु पालन विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने सहायक निदेशक, भेड़ विकास भरमौर, जिला चम्बा को यह मामला जन जातीय विकास प्राधिकरण से उठाने बारे निर्देश दिये हैं।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

5. कोच वैली पांवटा में soil erosion रोकने के लिये डंगा लगाने बारे।

विभागीय उत्तरः जहां तक कोच वैली पांवटा में वन भूमि में बाता नदी के साथ भूमि कटाव (soil erosion) हेतु डंगा लगाने का प्रश्न है, 18,00,000/– रुपये का प्राकलन तैयार कर लिया गया है जिसके लिए मुख्य अरण्यपाल नाहन ने दिनांक 21.08.2017 को बजट हेतु आवेदन किया है जिस पर आगामी कार्यवाही की जा रही है।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. बैठक में सदस्यों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि प्रदेश में बहुत से भेड़ पालक भेड़– बकरी नहीं चरा रहे हैं व उनके परमिट पर दूसरे भेड़ पालक भेड़ें चरा रहे हैं।

बैठक में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रदेश में समस्त वनमण्डलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में वही भेड़ पालक भेड़–बकरियों को चरायेंगे जिनके नाम पर परमिट जारी किये गये हैं व यदि कोई ऐसा परमिटधारक अपने परमिट पर किसी दूसरे से भेड़ बकरियां चराता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अम्ल में लाई जायगी तथा सभी गैर सरकारी सदस्यों से भी अनुरोध किया गया कि इस सम्बन्ध में वन विभाग की सहायता करें व यदि कोई मामला उनके संज्ञान में आया है तो सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को भी सूचित करें।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

चरागाह क्षेत्रों से अतिकमण हटाने बारे।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया गया कि चरागाह क्षेत्रों पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के फलस्वरुप, चरागाह क्षेत्र कम हो रहा है।

निर्णयः चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त अरण्यपालों को निर्देश दिये कि चरागाहों से अतिक्रमण को 2 महिनों में हटाया जाये व 15–15 दिनों उपरान्त प्रगति रिपोर्ट प्रधान मुख्य अरण्यपाल को भेजी जावे।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

46वीं बैठक के लिये नई मदः–

वन विभाग द्वारा Agro Forestry Scheme लागू करने बारे।

बैठक में वन विभाग द्वारा उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों को अवगत करवाया गया कि प्रदेश में पशुओं के लिए अधिक से अधिक चारा उपलब्ध करवाने व किसानों की आजीविका वृद्धि के लिए **Agro Forestry Scheme** वर्ष 2016–17 से लागू की गई है व इस योजना का लाभ उठाने के लिए भेड़ पालक व किसान सम्बन्धित अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

बैठक के समापन पर सदस्य सचिव एवं प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन प्रबन्धन) ने बैठक में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी सदस्यों एवं सभी अधिकारीयों/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

11/9/17

प्रधान मुख्य अरण्यपाल(वन प्रबन्धन)
का0 प्रधान मुख्य अरण्यपाल(हॉफ)

प्रधान मुख्य अरण्यपाल (HoFF)
हिमाचल प्रदेश

अति0 मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

माननीय अध्यक्ष एवं वन मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश।